केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :47 अंक 264 रविवार 19 अप्रैल 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

सफाई कर्मी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जिले में एक सफाई कर्मी की हत्या का मामला सुलझा लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से मृतक की मोटरसाइकिल और हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद किया गया है।

कला डड़वापुर, थाना छावनी, को शनिवार को जमौलिया कट एनएच–28 (बस्ती–अयोध्या मार्ग) से गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी थाना छावनी में दर्ज मुकदमे की विवेचना के दौरान हुई। पूछताछ में आरोपी संदीप ने बताया कि मृतक विनय वर्मा उसकी रिश्ते की बहन को परेशान करता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन यह विवाद इतना बढ़ गया कि संदीप ने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से विनय की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने शव को नहर में फेंक दिया था। मृतक का शव सोमवार सुबह बरामद किया गया था। इस मामले के खुलासे में थाना छावनी पुलिस के साथ स्वाट, एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। पुलिस टीम का नेतृत्व थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने किया, जिसमें उपनिरीक्षक सत्येंद्र यादव, सभाजित मिश्रा शोभा यादव, एसओजी प्रभारी विकास यादव और स्वाट टीम प्रभारी शेषनाथ यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।

चौकी प्रभारी लाइन हाजिर, कई थानाध्यक्षों के कार्यक्षेत्र बदले

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता बरते जाने पर पुलिस अधीक्षक डा.यशवीर सिंह चौकी प्रभारी कुदरहा महेश शर्मा को लाइनहाजिर कर दिया गया है।

आरोप है कि युवती की शिकायत के बाद भी चौकी प्रभारी ने घटना को न तो संज्ञान में लिया और न ही इस प्रकरण में उनके द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं दो थानेदारों के और अन्य चौकी प्रभारियों के दायित्व भी बदल दिए हैं। शिथिलता की शिकायत पर एसएचओ केके साहू को पैकोलिया से रिवर्ट कर दिया गया। उनके स्थान पर पीआरओ एसपी अजय कुमार यादव को पैकोलिया का नया प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। केके साहू को प्रभारी रिट सेल बनाया गया है। इसी तरह एसओ वाल्टरगंज शशांक सिंह को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पोस्ट किया गया है। उनके स्थान पर पीआरओ एसपी सूर्यप्रकाश सिंह को वाल्टरगंज का नया थानेदार बनाया गया है। प्रभारी रिट सेल शशांक शेखर राय और प्रभारी चुनाव सेल संजय कुमार को पीआरओ एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। निरीक्षक कंहैयालाल को नगर से अतिरिक्त निरीक्षक कलवारी बनाया गया है। चौकी प्रभारी हरिराय को रिवर्ट कर परसरामपुर थाने पर भेजा गया है। एसआई उमेश सिंह को पुलिस लाइन से कुदरहा का चौकी प्रभारी बनाया गया है। एसआई महेंद्र सिंह को परसरामपुर से क्राइम ब्रांच भेजा गया है। एसआई शशिकांत को छावनी से सोनूपार चौकी प्रभारी, जयशंकर पांडेय को सोनहा से दक्षिण दरवाजा चौकी प्रभारी, विरेंद्र कुमार को दक्षिण दरवाजा से टिनिच चौकी प्रभारी बनाया गया है। निरीक्षक श्री प्रकाश को पुलिस लाइन से चुनाव सेल और पुलिस लाइन से ही मोहम्मद खुर्शीद को अंगुष्ट छाप प्रभारी बनाया गया है।

होर्मुज में भारतीय झण्डा लगे टैंकर पर हमला

तेहरान (आभा)। होर्मुज स्ट्रेट में इराकी तेल लेकर आ रहे भारतीय झंड़े वाले तेल टैंकर पर हमला हुआ है। इस घटना के बाद विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजदूत को समन भेजा है। विदेश मंत्रालय के मामलों से परिचित सूत्रों के अनुसार, विदेश मंत्रालय ने होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय जहाज पर हुए हमले को लेकर चिंता जाहिर की। इस मामले में मंत्रालय ने ईरानी राजदूत डॉ. मोहम्मद फथली को तलब कर औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। सूत्रों के मुताबिक ईरानी राजदूत की मुलाकात विदेश मंत्रालय की पाकिस्तान–अफगानिस्तान और ईरान डेस्क के प्रमुख संयुक्त सचिव डॉ. एम आनंद प्रकाश से हुई।

बता दें, शुक्रवार को ईरान की तरफ से होर्मुज को खोलने का ऐलान करने के बाद भारतीय तेल टैंकर सनमार हेराल्ड और जग अर्नब होर्मुज को पार करने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त उन पर गोलीबारी की खबरें सामने आई थीं। इसके बाद टैंकर ने यू–टर्न ले लिया।

ब्रिटिश सेना ने शनिवार को बताया कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड की दो गनबोट्स ने होर्मुज से गुजर रहे एक टैंकर पर गोलीबारी की। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस सेंटर ने बताया कि टैंकर और उसके चालक दल के सुरक्षित होने की खबर है, लेकिन उसने न तो उस जहाज की पहचान बताई और न ही उसकी मंजिल की।

इससे पहले, ईरान ने होर्मुज को फिर से खोलने के अपने फैसले को पलट दिया है और इस अहम जलमार्ग पर फिर से पाबंदियां लगा दी हैं। यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे इस जलमार्ग पर अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को पूरी ताकत के साथ जारी रखेंगे।

भाकियू नेता ने विद्युत उपखण्ड बभनान के जे.ई. पर लगाया रिश्वतखोरी का आरोप:, जांच, कार्रवाई की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। भारतीय किसान यूनियन (अरा0) के प्रदेश सचिव एवं परसरामपुर प्रथम से पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामकुमार पटेल ने जिलाधिकारी के साथ ही मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री, मण्डलायुक्त के साथ बिद्युत विभाग के सम्बंधित अधिकारियों, भाजपा जिलाध्यक्ष को पत्र देकर विद्युत उपखण्ड–बभनान के जे०ई० राज केशर सिंह द्वारा किये जा रहे रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, उपभोक्ताओं के शोषण को बंद कराने, जांच कराकर कार्रवाई की मांग किया है।

भेजे पत्र में भाकियू नेता रामकुमार पटेल ने कहा है कि विद्युत उपखण्ड–बभनान के जे०ई० राज केशर सिंह द्वारा बभनान बाजारं व आस–पास के क्षेत्र के किसान, मजदूर, गरीब व व्यापारियों से विद्युत कनेक्शन व विद्युत लोड जाँच के नाम पर भय दिखाकर प्रति कनेक्शन की तीस हजार रूपये की रिश्वतखोरी की जा रही है। उक्त जे०ई० इसके पूर्व दुबौलिया ब्लॉक पर तैनात थे। वहाँ भी इनका यही रिश्वतखोरी का कार्य चल रहा था। इनको वहाँ भी उपभोक्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा था। इनके द्वारा

उपभोक्ताआ को डराया जाता है कि उनके रिश्तेदार विधायक हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनके द्वारा किसान, गरीब व मजदूर तथा व्यापारियों को कनेक्शन जाँच का भय दिखाकर रिश्वतखोरी करना एक अमानवीय एवं आपराधिक कृत्य है।

भाकियू नेता ने जे०ई० राज केशर सिंह के विरूद्ध बिजली विभाग के अधिकारियों को छोडकर किसी अन्य विभाग के उच्च सक्षम अधिकारियों से जाँच कराकर इनको हटाये जाने तथा जाँच के दौरान क्षेत्र के किसान व्यापारियों को भी शामिल कर इनके खिलाफ उचित कार्यवाही किये जाने की मांग किया है।

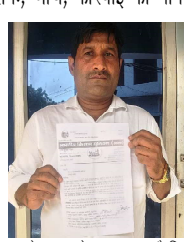

प्राथमिक विद्यालय का ताला तोड़ सिलेंडर व राशन ले कर चोर हुए फरार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

पौली (संतकबीर नगर)। धनघटा थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रुपिन कला में शुक्रवार की रात रसोई घर का ताला तोड़कर चूल्हा, गैस सिलेंडर व एक बोरी चावल उठा ले गए। प्रधानाध्यापक ने बीईओ हैसर को अवगत कराया। उहोंने थानध्यक्ष धनघटा को प्रार्थना पत्र दे विधि करवाई करने का अनुरोध किया।

प्राथमिक विद्यालय रुपिन कला के प्रधानाध्यापक मिठाई लाल विद्यालय खुलने तो देखा कि रसोई घर का ताला टूटा था और सामान सभी बिखरे हुए थे। उहोंने ग्राम प्रधान को अवगत कराया। गांव के सिवान में काफी ढूंढा गया लेकिन

कुछ साक्ष्य नहीं मिला। उहोने बीईओ ज्ञान चंद्र मिश्रा को अवगत कराया। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए विद्यालय पहुंचे और बारीकी से जांच किया। घटना सही देख धनघटा थाना पर पहुंचे और प्रधानाध्यापक ने प्रार्थना पत्र देकर विधि करवाई का अनुरोध किया। बीईओं ज्ञानचंद मिश्र ने बताया कि विद्यालय पर पहुंचकर मौके का जांच किया गया है। घटना की जानकारी थानाध्यक्ष को दे दिया गया है।

बहन ने भाई को मारडाला, गिरफ्तार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

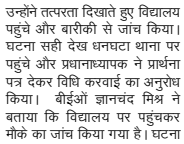

बस्ती। लॉलीपॉप के लिए 15 साल की बहन ने अपने 7 साल के भाई को गला दबाकर मार डाला। पकड़े जाने के डर से उसने शव छत के कुंडे से दुपट्टे के सहारे लटका दिया। इसके बाद बहन ने घरवालों को बताया कि भाई ने सुसाइड कर लिया है। घरवाले बच्चे को अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद घरवालों ने बिना पुलिस को बताए शव का अंतिम संस्कार कर दिया। मामले का खुलासा तब हुआ, जब हत्या के 6 दिन बाद बहन ने खुद ही घरवालों को हत्या करने की बात बताई। इसके बाद पिता की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर बहन को कस्टडी में ले लिया। मामला लालगंज थाना क्षेत्र का है।

जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर के थाल्हापार गांव है। यहां एक किसान परिवार रहता है। उनके घर में 11 अप्रैल की सुबह करीब 11:20 बजे 7 साल का बच्चा छत की कुंडी से दुपट्टे के सहारे लटकता मिला था। बच्चे की 15 साल की बहन की चीख सुनकर घरवाले छत पर पहुंचे। वे लोग बच्चे को फंदे से उतारकर तुरंत बनकटी की पीएचसी ले गए। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे बस्ती के जिला अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन, बीच रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। घरवालों ने बिना पुलिस को सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

शाम करीब 3 बजे डायल–112 पर सूचना दी गई। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी विनय कुमार पाठक और क्षेत्राधिकारी रुधौली कुलदीप सिंह यादव मौके पर पहुंचे और पंचनामा की कार्रवाई कराई। 6 दिन बाद हत्यारोपी ने खुद कबूला बच्चे के पिता ने बताया– हम लोग बेटे की मौत का कारण समझ नहीं पा रहे थे। 7 साल का बच्चा फांसी लगाकर आखिर कैसे सुसाइड कर सकता है? इसी बीच 17 अप्रैल को मेरी बड़ी बेटी ने खुद ही आकर रोते हुए हत्या करने की बात कबूल कर ली। बहन ने परिवारवालों को बताया कि 11 अप्रैल की सुबह करीब 11 बजे वह छोटे भाई के साथ छत पर बने कमरे में खेल रही थी। इसी दौरान लॉलीपॉप को लेकर उन दोनों के बीच मारपीट हुई। इसी बीच गुस्से में आकर बेटी ने छोटे भाई का गला दबा दिया। इससे वह बेहोश हो गया। भाई को मरा हुआ जानकर बहन ने उसे छत के कुंडे से दुपट्टे के सहारे लटका दिया। फिर शोर मचाकर घरवालों को बुला लिया। इसे बाद घरवालों के सामने सुसाइड की कहानी गढ़ दी।

समाधान दिवस में 7 मामले निस्तारित

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जिलाधिकारी श्रीमती कृत्तिका ज्योत्स्न की अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस तहसील रूधौली में सम्पन्न हुआ। सम्पूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों को एक–एक कर सुनते हुए मौके पर उपस्थित सम्बंधित विभागीय अधिकारियों को जनशिकायतों को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत निस्तारण के लिए निर्देशित किया। उन्होने कहा कि शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुने और स्थलीय मौका देखकर गुणवत्तापूर्ण व ससमय समस्याओं का निस्तारण करें।

उप जिलाधिकारी मनोज प्रकाश ने बताया कि सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 64 मामलें प्राप्त हुए, जिसमें से 07 का मौके पर निस्तारण किया गया। इसमें राजस्व विभाग 32, पुलिस 09, विकास 04, विद्युत 08, पूर्ति विभाग 09, उप निबंधक व नहर के 1–1 मामलें आये।

सम्पूर्ण समाधान दिवस में सीएमओ डा. राजीव निगम, डीडीओ अजय कुमार सिंह, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. ए.के. गुप्ता, डीपीआरओ धनश्याम सागर, उप जिलाधिकारी राजेश यादव, बीएसए अनूप तिवारी, मत्स्य अधिकारी संदीप वर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी लालजी यादव, गन्ना अधिकारी अंगद सिंह, कृषि अधिकारी बी.आर. मौर्य, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई दिनेश मोहन, एक्सियन आरईडी अंकुर वर्मा, एलडीएम आर.एन. मौर्य, जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेश कुमार, पिछड़ा कल्याण अधिकारी रेखा गुप्ता, क्षेत्राधिकारी पुलिस, तहसीलदार तथा जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

उद्यमियों की समस्याओं का प्राथमिकता से हो निस्तारण

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। कलेक्ट्रेट सभागार में उद्योग एवं व्यापार बन्धु की बैठक मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। जनपद के व्यापारी एवं उद्यमी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर अपनी समस्याओं एवं सुझावों से प्रशासन को अवगत कराया। मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि व्यापारियों की समस्याओं का समयबद्ध एवं पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित करायें। उन्होने कहा कि उद्यमियों/व्यापारी बन्धुओं की उद्योगों की स्थापना एवं उद्यम संचालन में आने वाली बाधाओं को प्राथमिकता पर दूर कराया जाए, जिससे जनपद में निवेश प्रोत्साहन तथा उद्यम को बढ़ावा मिल सकें तथा रोजगार के पर्याप्त अवसर हों।

उन्होंने विद्युत, सड़क एवं जलनिकासी व्यवस्था, नगरीय अतिक्रमण, निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों, स्वरोजगारपरक

ऋण योजनाओं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, बैंक ऋण, सुरक्षा व्यवस्था, एक जनपद एक उत्पाद, वित्त पोषण सहायता योजना आदि विषयों पर गहन समीक्षा की।

बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान ने कहा कि विभागीय अधिकारीगण आपसी समन्वय के साथ उद्यमियों तथा व्यापारियों के समस्याओं के निस्तारण में सक्रिय योगदान दें। आवश्यकतानुसार संगठन के प्रतिनिधियों का सहयोग/सुझाव अवश्य प्राप्त करें जिससे जनपद बेहतर औद्योगिक विकास वातावरण विकसित हो सके।

उद्योग बन्धु समिति बैठक का संचालन उपायुक्त उद्योग हरेन्द्र प्रताप ने किया तथा वाणिज्य बन्धु समिति की बैठक का संचालन उपायुक्त (प्रशासन) राज्य कर उपेन्द्र यादव ने किया।

निवेश मित्र पर विभागवार लम्बित मामलों की समीक्षा करते हुए उन्होने संबधित विभाग को निर्देशित किया कि प्रकरण का निस्तारण निर्धारित समयसीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाय। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय।

बैठक में चेम्बर्स आफ कामर्स के महासचिव हरिश्चन्द्र शुक्ल, उद्योग व्यापार मण्डल के जगदीश अग्रहरि, केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आशुतोष राय, शीतला पटेल, मण्डल अध्यक्ष उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मनोज सिंह, राधेश्याम कमलापुरी, राधेश्याम जायसवाल, ईओ नगरपालिका अंगद गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता पी0डब्लू0डी0 अवधेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता विद्युत खण्ड प्रथम शुभम पाण्डेय, अधिशासी अभियन्ता हर्रैया, एलडीएम आर.एन. मौर्या, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी एल0बी0 सिंह सहित उद्यमीगण/व्यापारी बन्धु उपस्थित रहे।

हाईकोर्ट ने बस्ती एसपी को 4 घंटे तक खड़ा रखा: कहा- अपनी जिम्मेदारी समझिए, आगे से माफी नहीं मिलेगी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में बस्ती पुलिस की लापरवाही पर एसपी को चार घंटे तक खड़ा रखा। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा– जिस व्यक्ति के पास जिले का प्रभार है, उसे अपने इंस्पेक्टर या सिपाही द्वारा दी गई जानकारी के प्रति सचेत रहना चाहिए। इसके बाद एसपी ने कोर्ट से माफी मांगी। कोर्ट ने कहा कि एसपी की माफी पर नरम रुख अपनाया जा रहा है। उनके खिलाफ कोई आदेश पारित करने के बजाय, उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे कोर्ट के उठने तक न्यायालय में मौजूद रहें। ताकि भविष्य में हाईकोर्ट या किसी भी कोर्ट के सामने शपथ–पत्र दाखिल करते समय वे अधिक सावधानी बरतें। दरअसल, पूरा मामला एक युवती की हत्या से जुड़ा है। इसमें बस्ती पुलिस की ओर से कोर्ट में गलत तथ्यों के साथ शपथ पत्र दाखिल किया गया था। साथ ही समय पर रिपोर्ट भी नहीं भेजी गई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी वो सबूत सामने नहीं मिले, जिसे पुलिस ने अपनी जांच में शामिल किया था। मामला 25 सितंबर, 2025 का है। बस्ती के वाल्टरगंज थाना

क्षेत्र में खेत जाने के लिए निकली युवती की हत्या कर दी गई थी। आरोप था युवती पर ईंट और किसी भारी चीज से वार किया गया। युवती की हत्या के बाद उसके मुंह में जहर डाला गया, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी गंभीर चोट के स्पष्ट सबूत नहीं मिले। हत्या का आरोप मनजीत कुमार समेत 3 अज्ञात लोगों पर था। परिजनों के अनुसार, आरोपी युवती पर शादी का दबाव बना रहे थे। उसके इनकार करने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 17 दिन बाद एफआईआर दर्ज की थी। मामले में आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने थाने से पैरा–वाइज टिप्पणी मांगी। लेकिन पुलिस को रिपोर्ट भेजने में काफी देर हुई। इस पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई। थानाध्यक्ष वाल्टरगंज उपेंद्र सिंह को भी तलब किया गया। सुनवाई के दौरान थानाध्यक्ष उपेंद्र सिंह और विवेचक हेड कांस्टेबल मनोज यादव ने देरी के लिए अभियोजन अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद कोर्ट ने अभियोजन अधिकारी राजीव कुमार को भी तलब किया। इसके बाद कोर्ट ने 7 अप्रैल, 2026 को एसपी बस्ती को तलब कर लिया। 16 अप्रैल, 2026 को एसपी बस्ती और अभियोजन अधिकारी दोनों व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित हुए। कोर्ट ने हत्या मामले में कार्रवाई करने में बस्ती पुलिस की लापरवाही मानी। कोर्ट ने एसपी की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए उन्हें पूरे समय कोर्ट में खड़े रहने का निर्देश दिया। एसपी यशवीर सिंह ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए बिना शर्त माफी मांगी। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें भविष्य में सावधानी बरतने की चेतावनी दी। वहीं, केस के मेरिट पर विचार करते हुए कोर्ट ने आरोपी मनजीत कुमार को जमानत दे दी। कोर्ट ने यह भी कहा, मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है।

जेसीबी लगाकर ढहा दिये गये दलितों के मकान: ग्रामीणों में आक्रोश

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मुण्डेरवा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में प्रशासन द्वारा दलित का मकान जे.सी.बी. से पुलिस की मौजूदगी में ढहा दिया गया है। परिवार के लोग पड़ोसियों या खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करने को मजबूर है। मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई न होने से लोगों में आक्रोश है।

मुण्डेरवा थाना क्षेत्र के निवासी दलित राम अवध पुत्र गोबरी, राजेन्द्र पुत्र राम वेलास, प्रेमसागर, रामदीन पुत्रगण रामफेर के कच्चे–पक्के मकान को न्यायालय के निर्णय की अवमानना करते पूर्व ग्राम प्रधान भू–माफिया अब्दुल वहीद की शह पर पुलिस बल और की मौजूदगी में जे.सी.बी. लगाकर ध्वस्त करा दिया गया। इसे लेकर नागरिकों में रोष है। हिन्दू युवा वाहिनी जिला आई.टी. सेल संयोजक धर्मेन्द्र कुमार के साथ पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने मण्डलायुक्त को पत्र देकर मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग किया गया था। वाहिनी पदाधिकारी लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं किन्तु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई।

उच्चाधिकारियों को दिये पत्र में कहा गया है कि लेखपाल वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, नायब तहसीलदार, दारोगा और पुलिस कर्मियों ने गत 13 अप्रैल को जिलाधिकारी और उच्च

–दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई, मकान निर्माण कराने की मांग

न्यायालय के निर्णय की अवमानना करते हुये दलितों के कच्चे–पक्के मकान को ध्वस्त करा दिया। उक्त लोगों ने गाटा संख्या 611 में गांव के ही अप्पू, सुभाष, बब्लू पुत्रगण मुन्नीलाल का अवैध छप्पर रखवा दिया। मांग किया कि दोषियों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर दलितों को घर बनवाकर दिया जाय।

हिन्दू युवा वाहिनी जिला आई.टी. सेल संयोजक धर्मेन्द्र कुमार ने कहा है कि दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई के साथ दलितों को मकान फिर से न बनवाया गया तो प्रकरण को मुख्यमंत्री के समक्ष ले जाया जायेगा।

मुण्डेरवा थाना क्षेत्र के रामपुर के नागरिकों ने बताया कि गांव में पूर्व ग्राम प्रधान भू–माफिया अब्दुल वहीद का गरीबों में खौफ है और वह बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने से भी रोकता है। रामपुर गांव के राम अवध, राजेन्द्र, इन्दल, हरिभरन, प्रेम सागर, रामदीन, सुनील, प्रमेश, उर्मिला, शान्ती, शीला, कमलावती, मंजू, गुडिया, शुमंत्री, नीलू, चन्द्रावती, सरिता, वेदकला, सीमा, विमला देवी आदि ने प्रशासन से मांग किया है कि दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई कर जिन लोगों के घर जेसीबी लगाकार ढहाये गये हैं उनका मकान निर्माण कराकर दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाय।

सफाईकर्मी विनय कुमार वर्मा का हत्यारोपी गिरफ्तार सफाई कर्मचारी संघ ने स्थगित किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। सफाईकर्मी विनय कुमार वर्मा की हत्या मामले को लेकर सीओ सिटी द्वारा यह बताये जाने पर कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया। प्रदर्शन के आवाहन को लेकर शनिवार को सबेरे से ही अमहट घाट स्थित शिवमंदिर पर सफाईकर्मी एकत्र होकर धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे कि मौके पर पहुंचे सीओ सिटी सत्येन्द्र भूषण तिवारी के आश्वासन बाद प्रदर्शन स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष अजय कुमार आर्य, संघ के मंत्री मनसाराम चौधरी और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अध्यक्ष मस्तराम वर्मा, कार्यवाहक अध्यक्ष राम अधार पाल, मंत्री तौलू प्रसाद आदि ने सीओ सिटी को पत्र सौंपा। मांग किया कि सफाईकर्मी विनय कुमार वर्मा हत्याकाण्ड का खुलासा कर दोषियों को कड़ा दण्ड दिलाया जाय। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष राम अधार पाल ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने जिस तत्परता से हत्यारोपी को गिरफ्तार किया यह पहल सराहनीय है। दोषियों को कड़ा

दण्ड दिलाया जाय।

अमहट घाट पर सीओ सिटी को ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से कोषाध्यक्ष अशोक चौहान, संगठन मंत्री अमित चक्रवर्ती, लेखा सम्प्रेक्षक भरत कुमार यादव, सन्तोष कुमार, हर्रैया के ब्लाक अध्यक्ष भरतराम, समयदीन, उमेश चौधरी, राजेश कुमार, दीनानाथ, रामपाल भारती, विजय भारत, हजारीलाल, मो. कलीम, मायाराम, संजय सिंह, सूर्य प्रकाश पाण्डेय, हजारीलाल, सुभाष चन्द्र, कप्तान कुमार, शेषराम वर्मा, जगदीश प्रसाद, हरिश्चन्द्र, परमात्मा प्रसाद, देवेन्द्र कुमार, हृदयलाल, राम सुरेश चौधरी, यशवन्त कुमार, सुखराम, राजेश कुमार, रामपाल भारती, संजय यादव, विजय भारत, जयश्री, बजरंगी, दीनानाथ, श्रीचन्द्र, राजकुमार वर्मा, कप्तान कुमार वर्मा, जाहिद अली, हृदयलाल, बलराम कन्नौजिया, सूर्य प्रकाश पाण्डेय, धीरेन्द्र कुमार गुप्ता, हजारीलाल, मुजीबुल्लाह, देवेन्द्र कुमार, हजारीलाल, राजेन्द्र यादव, संगीता देवी, मीनाक्षी, देवनरायन, मंजू, सीमा, विजय भारती, राकेश कुमार वर्मा, सुग्रीव भारती, अनिल कुमार, हरिश्चन्द्र, राकेश वर्मा, राममिलन, विश्वनाथ, रामजी पाण्डेय, प्रहलाद चौधरी, मुबारक अली, महेन्द्र कुमार, नन्दलाल, पीर मोहम्मद, वीरेन्द्र प्रताप चौधरी, रामकिशुन, संजय कन्नौजिया, पवन कुमार वर्मा, रामनयन वर्मा, रामभवन यादव, रामकंवल यादव के साथ ही हजारों की संख्या में सफाईकर्मी और विभिन्न संगठनों के लोग शामिल रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 19 अपैल 2026 रविवार

सम्पादकीय

यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन के यक्ष प्रश्न

देश की एक प्रमुख आईटी कंपनी की नासिक शाखा में यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयासों के चौंकाने वाले आरोप परेशान करने वाले हैं। निस्संदेह, यह प्रकरण बेहद गंभीर है और इन आरोपों ने कार्यस्थल की सुरक्षा जैसे नजरअंदाज किए जा रहे महत्वपूर्ण मुद्दे पर फिर देश का ध्यान आकर्षित किया है। यह आरोप है कि पुरुष कर्मचारियों का एक समूह महिला सहकर्मियों को निशाना बनाने के लिए एक 'संगठित गिरोह' की तरह काम कर रहा था। निश्चित रूप से यह घटनाक्रम कंपनी प्रबंधन की उस घोर लापरवाही को ही उजागर करता है जिस के चलते समय रहते इस तरह के यौन उत्पीड़न व धर्म परिवर्तन की कोशिशों पर अंकुश नहीं लग सका। यह विडंबना ही है कि मानव संसाधन प्रबंधक ने कथित तौर पर पीड़िता को शिकायत दर्ज कराने से यह कहकर रोका कि दृ'ऐसी चीजें होती रहती हैं।' आक्षेप लगाया गया है कि इस प्रकरण में आरोपी का ही पक्ष लिया गया। निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम कॉर्पोरेट जगत में व्याप्त विद्रूपताओं और एक गहरी तथा व्यापक विफलता की ओर ही इशारा करता है। जबकि दावा यह किया जाता रहा है कि कॉर्पोरेट जगत की प्राथमिकता कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चत करना है। इसमें दो राय नहीं है कि जब यौन उत्पीड़न रोकथाम ढांचे को लागू करने के लिये जिम्मेदार उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों पर दुर्व्यवहार को सामान्य या मामूली बात समझने का आरोप लगता है, तो सारे संस्थागत सुरक्षा उपाय ध्वस्त हो जाते हैं। निर्विवाद रूप से यह एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति है, जब पीड़ित महिला कर्मचारी को न केवल अपराधियों द्वारा बल्कि उनकी सुरक्षा का दायित्व संभालने वालों द्वारा भी चुप कराने के प्रयास किये जाते हैं। एक बार फिर से पुलिस के हस्तक्षेप और परामर्श के बाद ही कई पीड़ित महिला कर्मचारियों ने आगे आने का साहस जुटाया है। जिसके बाद ही मामले में प्राथमिकी दर्ज हो पायी है।

बहरहाल, इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण को लेकर एक असहज करने वाला प्रश्न यह उठता है कि क्यों भय, सामाजिक कलंक अथवा संस्थागत उदासीनता के कारण देश भर के विभिन्न कार्यस्थलों में ऐसे कितने ही यौन उत्पीड़न के मामले उजागर नहीं हो पाते हैं? इसमें दो राय नहीं कि इस मामले में जांच बिना किसी पुर्वाग्रह के आगे बढ़नी चाहिए। निर्विवाद रूप से आईटी कंपनी के नासिक प्रकरण में सांप्रदायिक या राजनीतिक रंग देने का प्रयास इस संकट की मूल चिंताओं को धूमिल करने का जोखिम जरूर पैदा कर सकता है। निस्संदेह, ऐसी घटनाओं को धार्मिक या वैचारिक नजरिये से देखना कॉर्पोरेट जवाबदेही और लैंगिक संवेदनशीलता वाले सुधारों की तत्काल आवश्यकता से ध्यान भटका सकता है। इस संवेदनशील विषय पर नजर रखने वाले तर्क देते हैं कि उत्पीड़न को संप्रदाय विशेष के अपराध के रूप में देखने के बजाय, इसे एक अधिकारी द्वारा अपने अधिकार के दुरुपयोग के रूप में देखा जाना चाहिए, जो किसी भी संस्थान में पारदर्शिता और प्रवर्तन की कमी वाले वातावरण में ही पनपता है। इस विचलित करने वाले प्रकरण में अधिकारियों की प्रतिक्रिया, जिसमें एक विशेष जांच दल का गठन भी शामिल है, स्वागत योग्य है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में महिला आयोग द्वारा भी एक स्वतंत्र जांच की जा रही है, जो कि एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है। हालांकि, कॉर्पोरेट जगत से जुड़े कार्यालयों में स्थायी परिवर्तन तभी संभव होगा जब कंपनियां ऐसे मामलों में 'शून्य सहिष्णुता' की घोषणा करेंगी। इसके साथ ही जरूरत इस बात की भी कि कार्यालयों में ऐसा निर्भयतापूर्ण वातावरण तैयार किया जाए कि कोई भी महिला कर्मचारी बिना डर के बोलने के लिये सशक्त बन सके। उन्हें सशक्त बनाने के लिये आंतरिक तंत्र को सक्रिय रूप से मजबूत बनाने की जरूरत है। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि कंपनियों का शीर्ष प्रबंधन गाहे–बगाहे यह पड़ताल करता रहे कि सर्वाधिकार प्राप्त कोई अधिकारी असीमित अधिकारों की आड़ में उत्पीड़न के अपवित्र खेल में शामिल तो नहीं है। एक पारदर्शी व सतर्क व्यवस्था भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगा सकती है।

मतदाता सूची, मतदान, और न्यायपालिका

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर की प्रक्रिया की वजह से जिस तरह की जटिलता खड़ी हुई है, उसमें लाखों मतदाताओं के मताधिकार से वंचित रह जाने की आशंका है। इस मसले पर राज्य के आम लोगों के बीच आक्रोश भी देखा गया। मगर यह सवाल अब भी कायम है कि अगर किन्हीं वजहों से बाद में पात्र साबित हुए मतदाता वोट देने से वंचित रह गए, तो इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। समस्या यह है कि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं और अब तक भारी संख्या में वैसे लोग मतदाता सूची से बाहर हैं, जिन्हें 'विचाराधीन' की श्रेणी में रखा गया है या जो किसी मामूली गड़बड़ी की वजह से नियमों की कसौटी पर पात्र नहीं माने गए। यह बेवजह नहीं है कि राज्य में इस मसले पर तीखे मतविरोध उभरे हैं और मांग की जा रही है कि चुनाव आयोग ऐसी कोई व्यवस्था करे, ताकि किसी पात्र मतदाता को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं होना पड़े।

इसी के मद्देजनर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए एक अहम आदेश दिया कि पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए अपीलीय प्राधिकरण जिन लोगों की अपील पर 21 अप्रैल तक फैसला दे देंगे, वे अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं, प्राधिकरण की ओर से जिन लोगों की अपील पर 27 अप्रैल तक फैसला कर दिया जाएगा, वे 29 अप्रैल को दूसरे चरण में अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे।

यानी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य के लाखों वैसे लोगों को राहत मिली है, जिन्हें किन्हीं वजहों से एसआइआर की प्रक्रिया के दौरान वोट देने के अधिकार से वंचित मान लिया गया था। उसके बाद मतदाता सूची से हटाए गए बहुत सारे लोगों ने अपीलीय प्राधिकरणों में अपील दायर की हुई है कि उन्हें पात्र मतदाता माना जाए। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ जिन मतदाताओं की अपील प्राधिकरणों की ओर से स्वीकार कर ली गई है, उनके नाम को शामिल करते हुए पूरक संशोधित मतदाता सूची जारी की जाए।

अब यह उम्मीद की जा सकती है कि राज्य में एसआइआर की प्रक्रिया के बाद जिन करीब सत्ताईस लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे, उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिल सकेगा। मगर तथ्य यह भी है कि निर्वाचन आयोग की ओर से जल्दबाजी और पुनरीक्षण की प्रक्रिया में तमाम खामियों की वजह से अपनी पात्रता साबित करने का बोझ खुद मतदाताओं पर ही आ खड़ा हुआ है। किसी भी अपात्र व्यक्ति को वोट देने का हक नहीं मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही वास्तव में किसी भी पात्र मतदाता को सिर्फ तकनीकी बारीकियों और जटिलताओं के आधार पर मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

विकास और सुशासन के मुद्दों पर भी काम करे मीडिया

—प्रो. संजय द्विवेदी—

मीडिया की ताकत आज सर्वव्यापी है और कई मायनों में सर्वग्रासी भी। ऐसे में विकास के सवालों और उसके लोकव्यापीकरण में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो उठी है। यह एक ऐसा समय है, जबकि विकास और सुशासन के सवालों पर हमारी राजनीति में बात होने लगी है, तब मीडिया में यह चर्चाएं न हों यह संभव नहीं है। समाज विकास की प्रक्रिया और उसकी आकांक्षाएं मीडिया में दर्ज हों, ऐसी उम्मीद की जाती है। इन विषयों की रिपोर्टिंग के लिए तमाम पत्रकार आगे आ रहे हैं। वैश्विक स्तर पर भी विकास की पत्रकारिता को एक नई नजर से देखा जा रहा है। भारत में विकास की पत्रकारिता और उसके सवालों से जूझने के लिए पत्रकारों की एक पूरी पीढ़ी तैयार है, किंतु मुख्यधारा के मीडिया के द्वारा इन विषयों को तरजीह न दिए जाने के कारण निराशा ही हाथ लगती है। संकट पत्रकारों की ओर से नहीं, मीडिया संस्थानों और प्रबंधकों की ओर से है। विकास का मुद्दा क्या सिर्फ सरकारी विज्ञापनों का विषय है, सरकारी मीडिया का विषय है, या यह समाज में हो रहे नवाचारों का भी विषय है। विकास पत्रकारिता को पाठ्यक्रम के साथ मीडिया कर्म का भी हिस्सा होना चाहिए।

भारत जैसे विविधता और बहुलता भरे समाज में सभी उम्मीदों, सपनों और बदलावों को रेखांकित कर पाना कठिन है। क्योंकि विकास के अनेक तल हैं और देश में समाज की रचना भी बहुस्तरीय है, देश में कहावत प्रचलित है 'चार कोस पर पानी बदले आठ कोस पर वाणी' , इसलिए किसी राज्य को भी एक ही पैमाने से नहीं नापा जा सकता। जैसे मध्य प्रदेश में एक तरफ समृद्ध मालवा है, तो दूसरी और झाबुआ जैसे इलाके भी हैं। एक तरफ इंदौर की चमक है, तो दूसरी ओर अलीराजपुर जैसे क्षेत्र भी हैं। छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ है, तो भिलाई भी है। ऐसे में पत्रकारों या विकास के सवालों पर लिखने वालों की चुनौतियां बढ़ जाती हैं। इसी तरह विकास की भूमिका भी यहां विस्तृत और परिवर्तित हो जाती है। हम देखें तो 1950 के पहले आर्थिक विकास हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। किंतु 1950 के बाद की चिंताएं अलग हो गयी। बाद के दिनों में सामाजिक विकास को एक बड़ा कारक माना जाने लगा है। सामाजिक न्याय से लेकर स्थाई विकास के सवाल अब बड़े हो गए हैं। यहां तक कि पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें भी हमारे सामने हैं।

एक समय में विकसित और विकासशील देशों की बहसें भी हमने सुनीं जिनमें मैकब्राइड कमीशन की रिपोर्ट एक अलग तरह से बात करती हुयी नजर आती है, जिनमें कुछ सवाल आज भी मौजू हैं। नियंत्रित मीडिया से मीडिया के चौतरफा विकास का समय भी आया जिसमें कुछ भी छिपाना और दबाना असंभव सा हो गया। कई बार यह भी लगता रहा कि विकास का सवाल सिर्फ सरकारी माध्यमों (मीडिया) के लिए ही महत्व का है, बाकी माध्यमों का अपना एजेंडा और राय अलग है। यहां यह भी देखना जरूरी है कि कम्युनिकेशन (संचार) सिर्फ सूचनाओं का हस्तांतरण नहीं है। बल्कि पक्षधरता के साथ, न्याय के लिए खड़ा होना भी है। जन को ताकतवर बनाना भी है। अवसर की समानता की अवधारणा को प्रचारित और स्थापित करना भी है।

विकेन्द्रीकरण ने विकास के सामने कई नए प्रश्न खड़े किए हैं। जिनके भी ठोस और वाजिब हल हमें ढूंढने चाहिए। जैसे पंचायती राज में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। सत्ता इसके चलते पंचायतों तक पहुंची, पर सवाल यह है कि क्या इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है? क्या संसदीय राजनीति और चुनावों की तमाम बुराईयां हमारी पंचायतों तक नहीं पहुंच गयी? वहीं हम मीडिया को देखें तो उसका भी विस्तार हुआ है। व्यापकता बढ़ी है, पहुंच भी बढ़ी है। पर सवाल यह है कि क्या मीडिया में संवेदनशीलता, ग्रहणशीलता और विविधता को आदर देने की उसकी भावना भी बढ़ी है, तो शायद उत्तर नकारात्मक ही हो। तीनों तंत्रों (कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका) से निराश लोग मीडिया की ओर बहुत उम्मीदों से देखते हैं। कई अर्थों में सत्ता का तो विकेन्द्रीकरण दिखता है, किंतु मीडिया धीरे–धीरे केन्द्रीकरण का शिकार हो रहा है। इसलिए जरूरी है क्रास मीडिया ओनरशिप के बारे में भी भारत जैसे देश सोचें। ताकि मीडिया के एकाधिकार के खतरों से बचा जा सके। इसके साथ ही प्रेस कौंसिल जैसी नख–दंत हीन संस्था के अधिकारों और क्षेत्राधिकार में बदलाव करते हुए उसे मीडिया कौंसिल में बदला जाना जरूरी है ताकि वह आज के प्रभावी मीडिया को भी अपनी चर्चा में ले सके। हम जिस संकट से दो चार हैं, वह यह है कि सूचनाएं बढ़ गई हैं और खबरें घट गई हैं। अखबारों के पन्ने बढ़ गए हैं, किंतु इनसे आम–आदमी गायब है। चौनल अब चौबीस घंटे कुछ बोलते हैं, पर उनमें विकास और जनता के सवालों की जगह बहुत कम है। जबकि विकास की पत्रकारिता की मुक्ति इसमें है कि जो लोग मीडिया तक नहीं पहुंच सकते, मीडिया उन तक पहुंचे। उनका दर्द सुने। अच्छी और उम्मीद जगाने वाली खबरों की ओर जाएं।

हमारी राजनीति बदल रही है, हमारा समाज बदल रहा है किंतु हमारे मीडिया के सोचने और अभिव्यक्त करने की शैली उस तुलना में नहीं बदली जैसी बदलनी चाहिए। आज यह मान्यता बन चुकी है कि विकास भारतीय मीडिया की प्राथमिकता नहीं है, शायद समाज भी उसकी प्राथमिकता नहीं है। हमारे नागरबोध ने मीडिया को समाज से बड़ा बना दिया है। किंतु यह तय मानिए कि कोई भी मीडिया, कोई भी राजनीति और कोई भी व्यक्ति समाज से बड़ा नहीं हो सकता। 18 से 25 साल और 18 से 35 साल के युवाओं के बीच बाजार खोज रहे मीडिया की चितांएं अलग हो सकती हैं किंतु समाज की चिताएं कुछ भिन्न हैं। वे ही वास्तविक चिंताएं हैं। मीडिया अगर इन चिंताओं से अलग व्यवहार कर रहा है तो वह अपने अस्तित्व पर संकट स्वयं रच है। विश्वसनीयता और प्रामणिकता के संकट तो उसके साथ संयुक्त हैं ही। मीडिया के नेतृत्वकर्ताओं के लिए यह सोचने का सही समय है कि जब सारा देश विकास और सुशासन के सवालों पर गंभीर हो रहा है, उसमें अपने शासकों से जवाब मांगने की हिम्मत आ रही है, तो हमारा मुख्यधारा का मीडिया क्या कर रहा है? ऐसे तमाम सवाल मीडिया के नेतृत्वकर्ताओं के सामने आज उपस्थिति हैं, अगर इन सवालों के हल हमने आज नहीं तलाशे तो कल बहुत देर हो जाएगी। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

नये सन्दर्भो में बाल विवाह की विसंगति

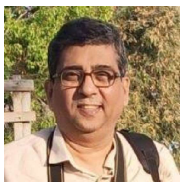

—अमरेन्द्र किशोर—

सुंदरबन जैसे इलाके में बड़ी संख्या में किशोरियों की शादी मात्र 'परंपरा' नहीं। यह कमजोर आर्थिक हालत में जीवन–रक्षा की रणनीति है। समुद्र में बार–बार चक्रवात आने, तटबंध टूटने, खारी मिट्टी से कृषि व मछली पालन प्रभावित होता है, जिससे आजीविका पर संकट आने से बाल–विवाह बढ़ते हैं।

सुंदरबन इलाके में जब सागर की लहरें धीरे–धीरे दलदली मिट्टी पर आती हैं– नमक और तूफान की तीव्रता से बंधा तट कांपता है, वहां बचपन की मासूमियत भी खतरे में पड़ जाती है। यहां गांवों में, घर की दीवारें धंसती मिट्टी पर टिकी हैं। इस संकट में सबसे अधिक प्रभावित होती हैं लड़कियां, जिनकी उम्र के सबसे खूबसूरत पल यानी खेल, पढ़ाई और बचपन की जिज्ञासाओं से लबालब होते हैं। वे सब जलवायु आपदाओं, गरीबी और सामाजिक असमानताओं के दबाव में जल्दी ही विवाह की आग में झोंक दी जाती हैं। गोसाबा द्वीप की गलियों में एक 14 वर्षीय लड़की, अजूं बागदीस, सुबह के अंधेरे में अपने छोटे–छोटे पैरों से खारे पानी में छलकते पानी को चीरते हुए भागती है, अपने साथ केवल कुछ कपड़ों का बंडल लिए हुए। सूरज की पहली किरणों से पहले ही वह अपनी जीवन यात्रा में उस मोड़ पर पहुंच चुकी होगी, जहां उसके बचपन को हमेशा के लिए त्याग दिया जाएगा। विवाह की रस्में साधारण होती हैंकृकोई भव्य दावत नहीं, बस कुछ रिश्तेदार, उधार ली गई साड़ी और एक जीवन जिसे आजाद महसूस करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। यह जलवायु संकट की अदृश्य कीमत है, जिसे समाज और व्यवस्था ने लड़कियों की मासूमियत के रूप में वसूल लिया।

हालिया सर्वेक्षण इस संकट की गंभीरता को उजागर करते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणदृ5 में पाया गया कि पश्चिम बंगाल में 20दृ24 वर्ष की उम्र की लगभग 42 प्रतिशत महिलाएं 18 वर्ष की उम्र से पहले ही विवाहिता हो चुकी थीं, जो राष्ट्रीय औसत 23.3 प्रतिशत का लगभग दोगुना है। सुंदरबन के द्वीपों में, गोसाबा ब्लॉक खासकर बाल विवाह के लिए चिन्हित है, जहां किशोरियों को घर का बोझ घटाने को विवाह करने को मजबूर किया जाता है। यहां के ग्रामीण रात में किए जाने वाले विवाहों की कहानियां फुसफुसाते हैं, जो अक्सर बिना पंजीकरण, अधिकारी की नजर से दूर, अनदेखी रह जाती हैं। यूनिसेफ के अनुमान के अनुसार, भारत के बाल विवाहों में पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी 13–15 प्रतिशत है, और इस डेल्टा के द्वीप–गोसाबा से लेकर बसंती, काकद्वीप और नामखाना तककृहर साल सैकड़ों किशोरियों को विवाह के बंधन में बांधते हैं।

सरकारी हस्तक्षेप मौजूद हैं, लेकिन वे सतह तक ही सीमित हैं। साल 2023 में अधिकारियों ने दावा किया कि 1,500 बाल विवाहों को रोका गया और लगभग 900 एफआईआर दर्ज की गईं, लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि अधिकांश विवाह अब भी रिकॉर्ड में नहीं आते। इस क्षेत्र में बाल विवाह भूख, कर्ज व अनिश्चितता से निपटने की कठोर रणनीति है।

जलवायु परिवर्तन इस चक्र को और तेज करता है। पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्ययन से पता चलता है कि पिछले दशक में 55 प्रतिशत से अधिक घरों ने अंडरएज विवाहों में वृद्धि दर्ज की है। टेरेस डेस होमस के सर्वेक्षण में खुलासा हुआ कि पथर प्रतिमा और गोसाबा के 90 प्रतिशत लोग पिछले दस वर्षों में सीधे जलवायु आपदाओं का सामना कर चुके हैं, जिससे फसल उत्पादन और खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुई है। ऐसे क्षेत्र में किशोरियों की जल्दी शादी आर्थिक बचाव की रणनीति बन जाती है। प्रवास से जोखिम और बढ़ जाता है। केवल 17 प्रतिशत प्रवासी परिवार अपने साथ पति–पत्नी को ले जाते हैं और सिर्फ 7 प्रतिशत बच्चे को ले जाते हैं, जिससे नाबालिगों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। रिपोर्टें बताती हैं कि बालिकाएं विवाह, जबरन श्रम, मानव तस्करी और विवाह प्रवासन से जुड़ी बढ़ती घटनाओं का सामना कर रही हैं।

मैदान के आंकड़े भले ही अधूरे हों, लेकिन परिणाम स्पष्ट हैं। लड़के परिवार की मदद करने के लिए स्कूल छोड़ देते हैंय लड़कियां घरेलू श्रम, जल्दी गर्भधारण, स्वास्थ्य जोखिम और सीमित गतिशीलता के चक्र में फंस जाती हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक, 73.3 प्रतिशत विवाहित लड़कियां अन्य जिलों में पलायन करती हैं, अक्सर अजनबी समुदायों में, बिना यह सुनिश्चित किए कि उनके पति की मंशा या पृष्ठभूमि सुरक्षित भी है। गरीबी और सामाजिक हाशिए पर रहने वाले समुदाय इस संकट को और गहरा कर देते हैं। अनुसूचित जातिध्जनजाति के लोगों के घरों में 44 प्रतिशत बाल विवाह की दर दिखती है।

केनिंग के चिन्मय रे कहते हैं,'कन्याश्री जैसी योजनाएं इन द्वीपों तक नहीं पहुंच पातीं। 'प्रशासनिक बाधाएं, कड़ा दस्तावेजीकरण, और राजनीतिक उपेक्षा हाशिए पर रहने वाले परिवारों को लाभ नहीं दिलातीं। प्रवर्तन की कमी बच्चों को असुरक्षित छोड़ देती है और पीड़ितों को मदद नहीं मिलती।' टेरेस डेस होमस के सर्वेक्षण के अनुसार सुंदरबन की दो–तिहाई बालिकाएं अपनी शादी को पिछले आपदाओं से जोड़ती हैं। कोविड–19 लॉकडाउन ने इन समस्याओं को और बढ़ा दिया। स्कूल बंद होने से सुरक्षा की जगहें छिन गईं और बच्चे घरों में सीमित हो गए, जहां गरीबी, कर्ज और निराशा जीवित रहने की दिशा तय करती हैं। पठानखली गांव की 14 वर्षीय कल्याणी गेयन ने स्कूल छोड़ दिया, अपनी किताबें फटे कपड़े में बांधकर, क्योंकि उसकी मां फसल की विफलता के कर्ज चुकाने में संघर्ष कर रही थी। मधुपुर ढेला की 16 वर्षीय प्रिया जाना ने 2024 के तूफान में अपना घर खो दिया। खारे पानी ने खेतों को बर्बाद कर दिया। विकल्पों की कमी के कारण उसके माता–पिता ने उसके विवाह का निर्णय लिया।

स्कूल तटबंधों के साथ–साथ टूटते हैं। मौसुनी कोऑपरेटिव स्कूल, द्वीप का एकमात्र माध्यमिक विद्यालय, चिंता बढ़ाने वाली ड्रॉपआउट दर का गवाह है। प्रधानाध्यापक बिनय शि बताते हैं कि पिछले दो वर्षों में 14–18 वर्ष के लगभग 15–20 प्रतिशत छात्र स्कूल छोड़ चुके हैं, तूफानों, गरीबी और जिम्मेदारियों के दबाव में।

मत्स्य और आजीविका विशेषज्ञ डॉ. अनिमेष राय कहते हैं, 'आय बढ़ी नहीं, नावें कम हैं, और बाल विवाह दरवाजे पर खड़ा है' । बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर काले पानी में नाव से यात्रा करते हैं। कार्यकर्ता सर्मिष्ठा दत्ता गुप्ता कहती हैं, 'बाल विवाह कानून केवल कागजों पर है। लड़कियों और लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 और 21 वर्ष है, लागू करना उन द्वीपों में विफल होता है, जहां सड़क की जगह नावें हैं और तूफान जीवन तय करते हैं। युवा दुल्हनें कई तरह के नुकसान झेलती हैंकृ उच्च जोखिम वाला गर्भधारण, एनीमिया, शिक्षा रुकना, मानसिक आघात और घरेलू बंदी। फिर भी, आशा की किरणें बची हैं। नूर स्कूल लौट गईय रूपा देवी स्वरोजगार समूह चलाती हैंय सालवीना ने दो बाल विवाह रोकेय अंजलि पुलिस के साथ लड़कियों को बचाने में सहयोग करती हैं। उनका प्रतिरोध संस्थागत खामियों के बीच क्षमता की झलक दिखाता है। विशेषज्ञ जोर देते हैं कि प्रणालीगत समाधान जरूरी हैं–आपदा–प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा, बिना बाधा वाली शिक्षा, आजीविका सुरक्षा, किशोर स्वास्थ्य सेवाएं और जवाबदेह प्रवर्तन।

सुदूर द्वीपों में बाल विवाह को 'परंपरा' कहकर व्याख्यायित करना गलत है। सुंदरबन में, खारी मिट्टी, मुश्किल होता मछली पालन, टूटते तटबंध और बार–बार के चक्रवात आजीविका छीनते हैं। कमजोर आर्थिक स्थिति में जल्दी विवाह जीवन रक्षा की रणनीति बन जाता है–आपदा से निपटने की एक हताश कोशिश। लेकिन हताशा नीति की जगह नहीं ले सकती। साक्ष्य बताते हैं कि जब वित्तीय प्रोत्साहन को निरंतर शिक्षा, किशोर स्वास्थ्य सेवाओं और सामुदायिक निगरानी से जोड़ा जाता है, तब बाल विवाह में कमी आती है।

विस्थापित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, दूरस्थ द्वीपों में कार्यशील माध्यमिक स्कूल, बाढ़ के दौरान स्वास्थ्य केंद्र, महिला प्रधान परिवारों के लिए रोजगार और मोबाइल प्रवर्तन तंत्र शामिल होना चाहिए। पर्यावरण नीति और लैंगिक न्याय में समन्वय बिना, हर तूफान प्रगति को मिटा सकता है।–लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

कैसे हो विरासत का संरक्षण

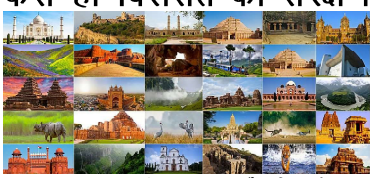

—प्रदीप कुमार वर्मा—

मिस्र की राजधानी काहिरा के पास गीजा पठार पर नील नदी के पश्चिमी तट पर स्थित गीजा के पिरामिड। रोम का ऐतिहासिक एम्फीथिएटर। चट्टानों को काटकर बनाया गया जॉर्डन का पेट्रा शहर। और विश्व के सात अजूबों में शामिल भारत का ताजमहल। यह सभी विश्व विरासत की एक बानगी भर हैं। देश और दुनिया में ऐसी सैकड़ो अमूल्य धरोहर हैं, जो विश्व विरासत के रूप में हमारे सामने हैं। यह विरासतें दुनिया भर की मानव सभ्यता की सांझी संस्कृति हैं। विरासत को बचाने का अर्थ इसी सांझी संस्कृति और विरासत को बचाने से है। इसी विश्व विरासत को बचाने इस संबंध में लोगों को जागरूक करने तथा संरक्षण के प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस लोगों को दुनिया भर के विभिन्न सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थलों के बारे में जानने और उनके संरक्षण के मूल्य को पहचानने का अवसर प्रदान करता है।

विश्व विरासत दिवस मनाने के अतीत पर गौर करें तो पता चलता है कि 18 अप्रैल 1982 को ट्यूनीशिया में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स द्वारा इस संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्रस्ताव रखा गया था। इसके बाद वर्ष 1983 में,यूनेस्को की 22वीं महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और हर साल इसे मनाने की आधिकारिक मान्यता भी दी। विश्व विरासत दिवस मनाने का उद्देश्य समूची मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों के संरक्षण के संबंध में जनमानस को जागरूक करना है। और उनकी रक्षा करना। यह दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारी विरासत अनमोल है और इसे भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। ऐसी विरासत को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया जाता है, जो सांस्कृतिक या प्राकृतिक रूप से मानवता के लिए अनमोल होते हैं। वर्तमान में भारत में विश्व धरोहर स्थल का संरक्षण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

लेकिन इस कार्य की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई। वर्ष 1861 में भारत में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। कनिंघम के नेतृत्व में भारत में सारे ही प्राचीन स्थलों की खोज एवं संरक्षण का काम किया गया। प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के शहर मोहन जोदड़ो और हड़प्पा की खोज भी उसी समय हुई। भारत में अब तक 40 से अधिक स्थलों को विश्व विरासत का दर्जा देते हुए उन्हें सूची में शामिल किया गया है। इनमें विश्व प्रसिद्द अजंता एवं एलोरा की गुफाएं,आगरा का किला, दुनिया के सात अजूबों में शामिल ताजमहल,सूर्य मंदिर,महाबलीपुरम स्मारक,

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, विदेशी प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग कहा जाने वाला भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान,मानस वन्यजीव अभयारण्य,गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, नागर शैली के प्रतीकवाद और कामुक आकृतियों और मूर्तियों के लिए प्रख्यात खजुराहो के स्मारक,हम्पी के स्मारक तथा फतेहपुर सीकरी के चार मुख्य स्मारक जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा,पंच महल, दीवाने–खास और दीवान–आम शामिल हैं।

इसके साथ ही ग्रेट लिविंग चोल मंदिर,पट्टदकल स्मारक,सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान,नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान,बुद्ध के स्मारक,हुमायूं का मकबरा, दिल्ली की कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, कुब्बत–उल–इस्लाम मस्जिद, इल्तुमिश का मकबरा और लौह स्तंभ शामिल हैं। इसके साथ ही दार्जिलिंग, कालका शिमला और नीलगिरि की पर्वतीय रेलवे,महाबोधि मंदिर,भीमबेटका,छत्रपति शिवाजी टर्मिनस,चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान, दिल्ली का लाल किला, जयपुर का जंतर मंतर,राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर किला, गागरोन किला, आमेर किला और जैसलमेर जैसे प्राचीन किले शामिल हैं। गुजरात के अहमदाबाद में रानी की वाव भी विश्व विरासत धरोहर में शामिल है। आज दुनिया भर में पर्यावरण का विनाश, युद्धों और गृहयुद्धों के कारण बड़े पैमाने पर प्राचीन विरासतों का विनाश हो रहा है। अफगानिस्तान प्राचीन बौद्ध सभ्यता का बड़ा केन्द्र रहा है ।

लेकिन जब अफगानिस्तान में तालिबानी शासक सत्ता में आए तो उन्होंने अफगानिस्तान के बामियान प्रान्त में पहाड़ काटकर बनी गौतमबुद्ध की करीब एक हजार साल पुरानी मूर्ति को नष्ट कर दिया।

कार्यालय ग्राम पंचायत बड़ेरिया खुर्द वि.खं. साऊंघाट, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **बड़ेरिया खुर्द** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **बड़ेरिया खुर्द** के निविदा बाक्स में दिनांक 02–05–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 20–04–2026 से दिनांक 01–05–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **बड़ेरिया खुर्द** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **बड़ेरिया खुर्द** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **बड़ेरिया खुर्द** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(रितेश यादव)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**बड़ेरिया खुर्द**

(यशवर्धन)
सचिव
ग्राम पंचायत–**बड़ेरिया खुर्द**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 18.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत बड़ोखर वि.खं. रामनगर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **बड़ोखर** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **बड़ोखर** के निविदा बाक्स में दिनांक 27–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 20–04–2026 से दिनांक 26–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **बड़ोखर** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **बड़ोखर** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **बड़ोखर** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(नीलम पाण्डेय)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**बड़ोखर**

(दिनेश कुमार)
सचिव
ग्राम पंचायत–**बड़ोखर**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 18.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत जमोहना वि.खं. रामनगर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **जमोहना** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **जमोहना** के निविदा बाक्स में दिनांक 28–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 01:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 20–04–2026 से दिनांक 27–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **जमोहना** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **जमोहना** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **जमोहना** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(महाबीर पाण्डेय)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**जमोहना**

(दिनेश कुमार)
सचिव
ग्राम पंचायत–**जमोहना**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 18.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत बेईली वि.खं. रामनगर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **बेईली** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **बेईली** के निविदा बाक्स में दिनांक 29–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 01:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 20–04–2026 से दिनांक 28–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **बेईली** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **बेईली** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **बेईली** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(केशव प्रसाद)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**बेईली**

(दिनेश कुमार)
सचिव
ग्राम पंचायत–**बेईली**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 18.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत बक्सर वि.खं. बस्ती सदर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **बक्सर** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **बक्सर** के निविदा बाक्स में दिनांक 24–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 18–04–2026 से दिनांक 23–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **बक्सर** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **बक्सर** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **बक्सर** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(मेहताब आलम)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**बक्सर**

(आनन्द कुमार सिंह)
सचिव
ग्राम पंचायत–**बक्सर**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 18.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत भीवापार वि.खं. रामनगर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **भीवापार** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **भीवापार** के निविदा बाक्स में दिनांक 27–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 20–04–2026 से दिनांक 26–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **भीवापार** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **भीवापार** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **भीवापार** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(संजय पाण्डेय)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**भीवापार**

(दिनेश कुमार)
सचिव
ग्राम पंचायत–**भीवापार**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 18.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत सिलवटिया वि.खं. रामनगर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **सिलवटिया** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **सिलवटिया** के निविदा बाक्स में दिनांक 27–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 01:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 20–04–2026 से दिनांक 26–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **सिलवटिया** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **सिलवटिया** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **सिलवटिया** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(दुर्गा देवी)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**सिलवटिया**

(दिनेश कुमार)
सचिव
ग्राम पंचायत–**सिलवटिया**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 18.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत तकिया चक वि.खं. रामनगर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **तकिया चक** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **तकिया चक** के निविदा बाक्स में दिनांक 28–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 20–04–2026 से दिनांक 27–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **तकिया चक** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **तकिया चक** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **तकिया चक** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(सरोज देवी)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**तकिया चक**

(दिनेश कुमार)
सचिव
ग्राम पंचायत–**तकिया चक**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 18.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत बेहरा वि.खं. कप्तानगंज, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **बेहरा** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/बीबी-जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026-27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यो हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैंड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, ह्यूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुड़े सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **बेहरा** के निविदा बाक्स में दिनांक 25-04-2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर धनराशि मु० 5000-00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 20-04-2026 से दिनांक 24-04-2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1- जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2- आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3- कार्यालय ग्राम पंचायत **बेहरा** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4- सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **बेहरा** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5- जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6- सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7- सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8- प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9- आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10- धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **बेहरा** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11- आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12- ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13- आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14- निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15- सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16- निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(सुभाष चन्द्र चौधरी) प्रधान ग्राम पंचायत-बेहरा | (पंकज सिंह) सचिव ग्राम पंचायत-बेहरा

पत्रांक / मेमो / टेण्डर विज्ञप्ति 2026 / 27 दिनांक 18.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत बनगवा वि.खं. रामनगर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **बनगवा** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/बीबी-जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026-27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यो हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैंड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, ह्यूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुड़े सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **बनगवा** के निविदा बाक्स में दिनांक 29-04-2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर धनराशि मु० 5000-00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 20-04-2026 से दिनांक 28-04-2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1- जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2- आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3- कार्यालय ग्राम पंचायत **बनगवा** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4- सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **बनगवा** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5- जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6- सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7- सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8- प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9- आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10- धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **बनगवा** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11- आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12- ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13- आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14- निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15- सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16- निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(दिनेश कुमार) प्रधान ग्राम पंचायत-बनगवा | (दिनेश कुमार) सचिव ग्राम पंचायत-बनगवा

पत्रांक / मेमो / टेण्डर विज्ञप्ति 2026 / 27 दिनांक 18.04.2026

एसडीएम ने बाढ़ तैयारियों की समीक्षा

संवाददाता-संतकबीरनगर। कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) चंद्रेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में बाढ़ स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान आगामी बरसात के मौसम में संभावित बाढ़ और बांधों के कटान से बचाव एवं सुरक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई।

अपर जिलाधिकारी ने राप्ती और घाघरा जैसी बाढ़ संवेदनशील नदियों के आसपास के इलाकों में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को बांधों, बाढ़ चौकियों, आश्रय स्थलों और संक्रामक बीमारियों से बचाव के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सभी विभागों को 10 मई तक अपनी विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य योजना प्रस्तुत करने से पहले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और बांधों का स्थलीय निरीक्षण करें। उन्होंने तीनों तहसीलों के उप जिलाधिकारियों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन और आवश्यक व्यवस्थाओं का लगातार निरीक्षण करने को कहा। साथ ही, संभावित समस्याओं की जानकारी के लिए स्थानीय लोगों से संपर्क कर उनका निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

घोड़े से गिरकर युवक की मौत

संवाददाता-संतकबीरनगर। जिले के दुधारा थाना क्षेत्र के छितरापार गांव निवासी एक युवक की घोड़े से गिरकर मौत हो गई। वह मुड़िला गांव के पास घोड़े पर सवार होकर रील बना रहा था। अचानक घोड़े के बिदकने से वह सिर के बल गिर पड़ा और चोटिल हो गया। स्थानीय डाक्टर ने हालत गंभीर होने पर बस्ती रेफर कर दिया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुधारा थाना क्षेत्र के छितरापार गांव निवासी रामचंद (26) पुत्र रामानंद शनिवार को मुड़िला गांव के पास घोड़े पर सवार होकर रील बना रहा था। इसी दौरान अचानक घोड़ा बिदक गया और वह सिर के बल गिर गया। इसके चलते उसके सिर और हाथ में गंभीर चोट लग गई। सूचना पर पहुंचे लोग उसे स्थानीय चिकित्सक के पास ले गए। स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टर ने बस्ती के लिए रेफर कर दिया। इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। यह खबर सुनकर घर में कोहराम मच गया। क्षेत्र में मातम छा गया। सूचना पर पहुंची दुधारा पुलिस ने लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रामचंद्र पांच बहन तीन भाई थे जिसमें तीन बहन और एक भाई की शादी हो चुकी है। एक बहन की शादी मई में तय है। रामचंद्र का बड़ा भाई मुम्बई में रहकर मजदूरी करता है। पिता रामानंद गांव का चौकीदार है।

जिलाधिकारी ने तहसील का औचक निरीक्षण किया

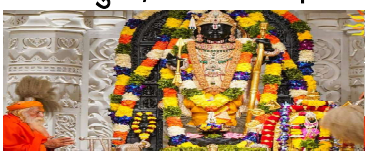

संवाददाता-सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर में तहसील समाधान दिवस में मिली शिकायत के बाद जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने शनिवार को शोहरतगढ़ तहसील स्थित राजस्व निरीक्षक कक्ष का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान राजस्व अभिलेखों और लंबित पत्रावलियों की गहन समीक्षा की गई, जिसमें गंभीर लापरवाही सामने आई। जांच में पाया गया कि धारा-24 से संबंधित 19 पत्रावलियां लंबित थीं, जिन्हें उपजिलाधिकारी न्यायालय में समय पर नहीं भेजा गया था। जिलाधिकारी ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए। जांच में खुलासा हुआ कि अधिकांश पत्रावलियां सेवानिवृत्त या स्थानांतरित हो चुके राजस्व कानूनगो से संबंधित थीं, जिसके कारण वे लंबित पड़ी थीं। जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी लंबित पत्रावलियों को तुरंत उपजिलाधिकारी न्यायालय में भेजा गया। साथ ही, मामले में लापरवाही और कर्तव्य निर्वहन में शिथिलता बरतने के आरोप में संबंधित राजस्व लिपिक प्रदीप कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने राजस्व मामलों के समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के समय उपजिलाधिकारी शोहरतगढ़ विवेकानंद मिश्र और तहसीलदार शोहरतगढ़ सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

अज्ञात कारणों से लगी आग, डेढ़ दर्जन पेड़, बांस की खूंटी और भूसा जला

संवाददाता-संतकबीरनगर। जिले के महुली क्षेत्र के महुलिया खुर्द-महुली सिवान में शनिवार की दोपहर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। तेज हवाओं के चलते आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। तेज हवा के झोंकों ने आग को इतना भड़का दिया कि करीब दो किलोमीटर तक इसका फैलाव हो गया। आग की लपटें महुली तक पहुंच गई जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग की चपेट में आकर डेढ़ दर्जन से अधिक पेड़, भूसा तथा बांस-खूंटी जलकर राख हो गई। आग इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि पास के आबादी क्षेत्र पर भी खतरा मंडराने लगा। मौके पर जुटी सैकड़ों की भीड़ और फायर ब्रिगेड की तत्परता से बड़ी मशक्कत के बाद आग को आबादी क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही काबू कर लिया गया।

हालांकि राहत कार्य के दौरान दमकल गाड़ी में पानी खत्म हो जाने से कुछ समय के लिए हालात और बिगड़ गए। जिससे लोगों में दहशत फैल गई। बावजूद इसके ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए बाल्टी, पाइप और अन्य संसाधनों के सहारे आग बुझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अग्निकांड में शिव नाथ, विश्वनाथ, राम बीर, मोहन लाल, जुग्गी, भोला, मुरारी, राम चेत सोनकर, रविंद्र और राम जी समेत कई लोगों के पेड़ जलकर नष्ट हो गए। जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद क्षेत्र में चिंता का माहौल बना हुआ है। आग महुली के सोनकर मोहल्ले के काफी करीब पहुंच चुकी थी लेकिन आग पर काबू पा लिया गया।

अयोध्या के राममंदिर में पुजारियों की संख्या 22 हुई, 2 नए पुजारी की नियुक्ति, रोस्टर में चढ़े नाम

संवाददाता-अयोध्या। राम मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए 20 पुजारियों के स्थान पर अब 22 पुजारी हो गये है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दो अतिरिक्त पुजारियों की नियुक्ति कर दी है। यह दोनों ही पुजारी गण पूर्व में ट्रस्ट की योजनानुसार छह माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। तीर्थ क्षेत्र ने प्रत्येक माह की अमावस्या व पूर्णिमा से बदले जाने वाले रोस्टर के मुताबिक सुबह-शाम की दो टोलियों में अलग-अलग ड्यूटी के लिए लिस्ट जारी कर दी है। यह दो पुजारी हैं गिरधारी मिश्र व अनिल शुक्ला है।

प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सभी प्रशिक्षित 20 पुजारियों को रामलला की सेवा में नियुक्त किया गया। पुनः वेतन विसंगति प्रकरण तूल पकड़ने पर सभी पुजारियों को मुक्त कर दिया गया। बाद में जिन 16 पुजारियों ने सशर्त सेवा के लिए सहमति पत्र दिया था, उन्हें दोबारा तैनात कर दिया गया लेकिन चार पुजारियों ने सहमति पत्र नहीं दिया जिसके कारण वह बाहर हो गये। फिलहाल उन्हीं चार पुजारियों में दो ट्रस्ट की शर्तो पर राजीनामा देने के बाद उनकी तैनाती सीधी भर्ती के रूप में कर दी गयी है। दोनों पुजारियों ने राम मंदिर में अपनी ज्वाइनिंग दे दी है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा 13 अप्रैल से रामलला व राम परिवार के साथ शेष सभी मंदिरों में दर्शन शुरू कराने के बाद पुजारियों को शीघ्र नियुक्ति का दबाव बढ़ गया था। इसके कारण ट्रस्ट ने श्रीराम निवास मंदिर में ट्रस्ट की योजना से कार्यरत 13 वैदिक आचार्यों को भी प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। इन सभी प्रशिक्षु पुजारियों का प्रशिक्षण राम मंदिर के परकोटे में निर्मित छह मंदिरों में सेवा के साथ शुरू हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार इन सभी प्रशिक्षुओं ने अपनी जिम्मेदारी संभाल भी ली है। इनके प्रशिक्षण अवधि के बारे में कोई अधिकृत घोषणा नहीं की गयी है। फिर भी माना जा रहा है कि इनकी अवधि न्यूनतम तीन माह रहेगी। खास बात यह है यह सभी प्रशिक्षु पुजारी गण राम मंदिर की पुजारी नियमावली में निर्धारित योग्यता व अर्हता को पूरा करते हैं और रामानंदीय परम्परा में दीक्षित होकर संध्या वंदन भी करते हैं। इसके अलावा राम मंदिर में होने वाले बाह्य अनुष्ठान में भी इनकी नियमित हिस्सेदारी भी रही है।

कार्यालय नगर पंचायत रुधौली बाजार, जनपद- बस्ती।

निविदा दर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया कि नगर पंचायत रुधौली बाजार, बस्ती में नगर पंचायत निधि/राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत निकाय क्षेत्र के सभी मन्दिर मस्जिद, सार्वजनिक स्थानों पर बैठनें के लिये बेन्च स्थापित किये जाने हेतु निविदा दर दिनांक 27-04-26 अपरान्ह 3:00 तक आमन्त्रित की जाती है. प्राप्त निविदाये उसी दिन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधि के उपस्थिति में सांय 4:00 बजे खोली जायेगी। इससे सम्बन्धित निविदा प्रपत्र नगर पंचायत कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करते हुये दिनांक 25-04-16 को सांय 05:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ मु० 10000.00 का राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ०डी०आर० जो अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत रुधौली बाजार, बस्ती के पक्ष में बन्धक होगा, निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। आपूर्तिकर्ता को आपूर्तित सामग्री को नगर पंचायत रुधौली बाजार, बस्ती तक पहुंचाना होगा। इसके लिये कोई कैरियर चार्ज देय नहीं होगा। नगर पंचायत द्वारा निर्धारित नियम व शर्तो की विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त किया जा सकता है। बिना कारण बताये निविदा को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।

अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत रुधौली बाजार, बस्ती | **अध्यक्ष** नगर पंचायत रुधौली बाजार, बस्ती

कार्यालय नगर पंचायत रुधौली बाजार, जनपद-बस्ती।

पत्रांक 118 /न०पं०रु०बा०ब० / स्टोर / 2026-27 दिनांक 17.04.2026

'पाथेय' का विमोचन, धर्म-अध्यात्म आधारित लेखों में जीवन मूल्यों का संदेश

संवाददाता-गोरखपुर। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में डॉ. फूलचन्द प्रसाद गुप्त की नई पुस्तक 'पाथेय' का विमोचन शिक्षाविदों और साहित्यकारों की उपस्थिति में हुआ, जिसमें नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर केंद्रित लेख संकलित हैं महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलसचिव संकुल कार्यालय में डॉ. फूलचन्द प्रसाद गुप्त की धर्म-अध्यात्म केन्द्रित पुस्तक 'पाथेय' का विमोचन शनिवार को उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष प्रो सदानन्द प्रसाद गुप्त, शहरनामा गोरखपुर के सम्पादक डा वेदप्रकाश पाण्डेय और कुलसचिव डा प्रदीप कुमार राव के हाथों सम्पन्न हुआ। प्लाक्षा प्रकाशन से प्रकाशित इस संग्रह में 14 आलेख और 106 पृष्ठ शामिल हैं, जिसकी भूमिका प्रो. सदानन्द प्रसाद गुप्त ने लिखी है।

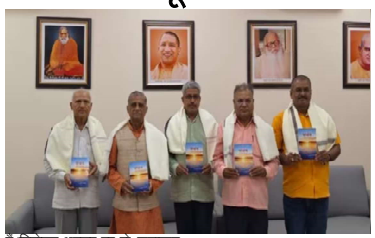

पुस्तक में धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, नाथपंथ, समाज और पर्यावरण जैसे विषयों पर लेख संकलित हैं। विमोचन अवसर पर प्रो. सदानन्द प्रसाद गुप्त ने कहा कि यह संग्रह सामान्य जीवन प्रसंगों से आगे बढ़कर नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर बल देता है। और मनुष्य के आध्यात्मिक उन्नयन का मार्ग प्रशस्त करता है।

डा. वेदप्रकाश पाण्डेय ने कहा कि लेखक ने विभिन्न ग्रंथों के उद्धरणों के माध्यम से मूल्यों की स्थापना का सफल प्रयास किया है। डा. प्रदीप कुमार राव ने कहा कि यह संग्रह पाठकों को उनकी आध्यात्मिक विरासत से जोड़ने का कार्य करेगा और धार्मिक-आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन के प्रति प्रेरित करेगा। पुस्तक के लेखक डॉ. फूलचन्द प्रसाद गुप्त ने कहा कि इस पुस्तक का उद्देश्य पाठकों को जीवन यात्रा के आवश्यक मूल्यों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह कृति पाठकों के लिए जीवन-पथ में 'पाथेय' सिद्ध होगी। इस दौरान प्रकाशक सौरभ कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम पर पद्मश्री आचार्य विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, डॉ. आद्या प्रसाद द्विवेदी, प्रो. शिवशंकर वर्मा, डॉ. लालमणि तिवारी तथा प्रो. रामदरश राय सहित कई विद्वानों ने कृति के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा हस्ब दफा 11 ऐक्ट 8, 1890 ई0

बअदालत साहब माननीय सिविल जज (जू0डि0) बांसी जनपद सिद्धार्थनगर

प्रकीर्णवाद सं0-92 / 2025

सिद्धू बनाम सरकार उ0प्र0 आदि

1- बलिराम पुत्र सुक्खू साकिन बेलवनवा तप्पा हाटा परगना बांसी पूरब तहसील बांसी सिद्धार्थनगर

2. शैलेन्द्र पुत्र पूर्णवासी साकिन अजगरा पो0 उसका बाजार तहसील नौगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

तारीख पेशी **15-05-2026**

इत्तिला दी जाती है कि दरख्वास्त बरगज मुकर्रर वली सायल मजकूर ने गुजरानी है लिहाजा यह इत्तिलानामा बमुराद इज्हार उज्रदरान और दरपेशी मुकदमे बअयुन तारीख 15 माह 05 सन् 2026 ई0 जारी आपको किया जाता है कि अगर निस्बत दरख्वास्त के उज्र हो तो अन्दर किसी को मियाद मुकर्रर मजकूर असालतन या वकालतन कब्ल करे बजे सुबह के अदालत साहब प्रधान सिविल जज (जू0डि0) बांसी जनपद सिद्धार्थनगर में हाजिर होकर अपना उज्र पेश दरसूरत इन्कजाय आपका करें। मियाद मुकर्रहे मजकूर फिर उज्र सुना न जायेगा और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त किसी का के सादिर होगा।

अलमरकूम 18 माह 04 सन 2026 ई0

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय- श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला-बस्ती

मूलवाद सं0-333 / 2025

मंजूर अली बनाम ग्राम सभा आदि

1. ग्राम सभा जरिये प्रधान ग्राम पंचायत गदापुर तप्पा छपिया परगना रसूलपुर तहसील भानपुर जिला बस्ती -प्रतिवादी प्रथम वर्ग

2. सरकार उत्तर प्रदेश जरिये जिलाधिकारी बस्ती जनपद-बस्ती -प्रतिवादी द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 04-07-2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 04 माह 07 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हो और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसब्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 18 माह 04 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

-द0 हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती

संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1-4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक-दिनेश सिंह

संयुक्त सम्पादक-प्रदीप चन्द्र पाण्डेय

अयोध्या-फैजाबाद कार्यालय- चतुर्मुखी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या-फैजाबाद

लखनऊ कार्यालय- आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।

गोरखपुर कार्यालय- इलाहीबाग गोरखपुर।

मो0 9336715406, 8400925463

ई.मेल bhartiyabasti@gmail.com

dainikbhartiyabasti@gmail.com